

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1	2	3												
5.6.17	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</u></p> <p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० – 265/2016-17</p> <p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी, अररिया – प्रथम पक्ष</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">विक्रम कुमार, पिता-राजेन्द्र प्रसाद, सा०-आश्रम टोला, वार्ड नं० 6/8, थाना+जिला-अररिया – विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 909/भू०सु०, दिनांक 24.09.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 3224, दिनांक 22.09.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख सं० 02/2016-17 (अंचल-अररिया) निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं० 2385 को रद्द करने की अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">वादग्रस्त का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="277 1392 1321 1741"> <thead> <tr> <th>जमाबंदी रैयत का नाम</th> <th>मौजा</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>संधारित रकवा</th> <th>रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विक्रम कुमार, पिता-राजेन्द्र प्रसाद, सा०-आश्रम टोला, वार्ड नं० 6/8, अररिया</td> <td>हड़िया थाना नं० 196</td> <td>388</td> <td>1033</td> <td>3.35 ए०</td> <td>3.35 ए० जमाबंदी सं० 2385</td> </tr> </tbody> </table> <p>विपक्षी को न्यायालय द्वारा सूचना निर्गत की गई। उनकी ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना लिखित बहस प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अभिलेख को आदेश पर रखा गया।</p> <p>विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका ने बजरिये निबंधित दस्तावेज सं० 9196, दिनांक 17.09.2002 द्वारा विक्रेता मो० इलाही एवं अन्य 15, सा०-हड़ियाबाड़ा से विक्रय मूल्य अदा कर क्रय किया गया है। क्रय के पश्चात् अपने नाम दाखिल-खारिज कराकर जमाबंदी सं० 2385 दर्ज कराया गया। प्रश्नगत भूमि विक्रेता को मरोसी हासिल है। विक्रेता के प्रश्नगत भूमि दिवानी वाद सं० 82/68</p>	जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा	विक्रम कुमार, पिता-राजेन्द्र प्रसाद, सा०-आश्रम टोला, वार्ड नं० 6/8, अररिया	हड़िया थाना नं० 196	388	1033	3.35 ए०	3.35 ए० जमाबंदी सं० 2385	
जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा									
विक्रम कुमार, पिता-राजेन्द्र प्रसाद, सा०-आश्रम टोला, वार्ड नं० 6/8, अररिया	हड़िया थाना नं० 196	388	1033	3.35 ए०	3.35 ए० जमाबंदी सं० 2385									



माननीय मुंसफ न्यायालय, अररिया से डिग्री प्राप्त है। जिसके आधार पर विक्रेता से प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है, जो न्यायसंगत एवं लिगल क्रय है। जिसे A.S.O. के वाद सं० 6702/64-65 द्वारा सही करार दिया गया है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 129/2012-13 जो क्रेताओं के बीच दखल को लेकर आपसी विवाद के कारण विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल किया गया था, में भी विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उनके केवाला की मान्यता देते हुए अंचलाधिकारी को केवाला की चौहदी के अनुसार अंचल अमीन से नापी कराकर चिन्हित कराने एवं अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिनांक 05.08.2013 को पारित किया गया है। अतः विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व कायम है तथा लगभग 20 वर्षों से जमीन पर दखलकार है।

अतएव अंचलाधिकारी, अररिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा क्रेता के दर्ज जमाबंदी सं० 2385 को रद्द करने की अनुशंसा वैद्य नहीं है, जिसे खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा 1033 का नक्सा अनुसार कुल रकवा 129.00 एकड़ है, जिसका खतियानी रकवा 83.00 एकड़ (उत्तर से) है। शेष अधिशेष रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण से) है। अपर समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के वाद सं० 986/1968-69 / 6708/1965 दफा 108 आदेश दिनांक 31.10.1969 के अनुसार मौजा-हड़िया, थाना नं० 196, खाता 388, खेसरा 1033 की भूमि में से कुल रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण से) बिहार सरकार खाते में दर्ज करने का आदेश पारित है। जिसके तहत रकवा 49.30 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष रकवा 83.00 एकड़ (उत्तर भाग से) का रैयती खतियान बना। उत्तर भाग की रैयती की भूमि में नहर एवं Village Channel गुजरती है, जिसका मुआवजा राशि खतियानी रैयत एवं उनके वारिशानों द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भूदान में भी मूल रैयतों द्वारा जमीन दी गई है, जो उत्तर भाग में शामिल है। इस प्रकार उत्तर भाग की 83 एकड़ भूमि रैयतों ने अपने दखल में रखते हुए भूमि बिक्री किया तथा बाद में बिहार सरकार की भूमि 49.30 एकड़ में से भी बिक्री करते गये। बिहार सरकार की 49.30 एकड़ में से उपरोक्त विवरण की 3.35 एकड़ भूमि अवैध रूप से विपक्षी क्रेता विक्रम कुमार के नाम बिक्री होकर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं० 2385 दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेशानुसार अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ स्थल की नापी कराकर बिहार सरकार घोषित रकवा 49.30 एकड़ का सीमांकन कर चिन्हित किया गया। उपरोक्त क्रेताओं की अंकित भूमि रकवा 3.35 एकड़ सीमांकित बिहार सरकार की भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। फलस्वरूप संधारित जमाबंदी सं० 2385 को रद्द करने का अनुशंसा अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा की गई है।

जहाँ तक स्वत्व वाद सं० 82/1968 का प्रश्न है तो उससे संबंधित साक्ष्य विपक्षीगणों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपर समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के आदेश को चुनौती दी गई है। साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार के खाते की है, जिसका क्रय-विक्रय तथा नामान्तरण होकर जमाबंदी दर्ज होना नियम के विरुद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना है।

अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन, अमीन का नापी प्रतिवेदन/ट्रेस मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अवैध तरीके से निबंधित दस्तावेज से क्रय की गई भूमि का बिहार सरकार के नाम घोषित रकवा 49.50 एकड़ के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि की जमाबंदी क्रेतागण के नाम दर्ज होना कानून के स्थापित सिद्धान्त एवं बिहार भूमि नामान्तरण अधिनियम की धारा 6 के विरुद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखने योग्य है। वादग्रस्त जमीन बिहार सरकार की खास भूमि है, जिसका क्रय-विक्रय सर्वथा गलत एवं अवैध है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अंचलाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के अनुशंसा, नापी प्रतिवेदन तथा अपर समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के पारित आदेश के आलोक में उक्त भूमि मौजा-हड़िया, थाना नं० 196, खाता सं० 388, खेसरा सं० 1033, रकवा 3.35 एकड़ का विक्रम कुमार, पिता-राजेन्द्र प्रसाद, सा०-अररिया के नाम दर्ज की गई जमाबंदी सं० 2835 जो बिहार सरकार के खास खाता के अन्तर्गत है, की दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि वर्णित जमाबंदी रकवा 3.35 एकड़ को बिहार सरकार के मूल जमाबंदी में शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, अररिया को अनुपालनार्थ भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

56-

अपर समाहर्ता,
अररिया

56

अपर समाहर्ता,
अररिया

ज्ञापांक 59/रा०(न्या०), अररिया, दिनांक 05/06/2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.6.17
अपर समाहर्ता,
अररिया